भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3160
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाना

3160. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में एक समान कराधान और प्रचालनात्मक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के संभावित लाभ की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत एटीएफ को शामिल किए जाने की स्थिति में राज्यों के लिए राजस्व स्थिरता बनाए रखने में मदद करने वाले संभावित जीएसटी दर ढांचे अथवा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कोई परामर्श या सांकेतिक आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में एयरलाइन प्रचालन लागत, हवाई किराए और हवाई संपर्क के विस्तार पर इस प्रकार के उपाय के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले के संबंध में राज्यों, विमान कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): एयरलाइनों की परिचालन लागतें गतिशील प्रकृति की होती हैं और उनके अलग-अलग घटक अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत, विदेशी विनिमय दरें, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट), पट्टा किराया आदि जैसे अनेक कारकों के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। यद्यपि एटीएफ की कीमतें एयरलाइन परिचालन व्यय का एक प्रमुख पहलू हैं, हवाई किराया रियल टाइम मांग, प्रतिस्पर्धी शक्तियों, सीजनलिटी और परिचालन संबंधी सरोकारों जैसे विभिन्न अन्य कारकों से भी निर्धारित किया जाता है। दिनांक 21 दिसंबर, 2024 को आयोजित 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में विमानन टर्बाइन ईंधन को माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने हेतु एक कार्यसूची मद प्रस्तुत की गई थी। कई राज्यों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए। इसलिए, यथास्थिति अर्थात एटीएफ को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखे जाने की स्थिति को बनाए रखा गया है।

सरकार ने विमानन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने में मदद करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें पश्चिमी एशिया संकट से उत्पन्न होने वाली अपवादात्मक ईंधन कीमत अस्थिरता के कारण अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों को विमानन टर्बाइन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण सहायता प्रदान करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को एकबारगी बजटीय समर्थन शामिल है जो 10,000/- करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। घरेलू परिचालनों के लिए, अप्रैल एवं मई, 2026 के महीनों के लिए एटीएफ कीमतें दिनांक 01 मार्च, 2026 के आधार मूल्य पर अधिकतम 25% की वृद्धि पर सीमित की गईं थीं, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुईं। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एटीएफ पर उच्च वैट के मुद्दे को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सितंबर 2021 से एटीएफ पर वैट कम कर दिया है। हाल ही में, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए एटीएफ पर वैट को घटा कर क्रमशः 18% से 7% और 25% से 7% कर दिया है।
